

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है० वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांसवाली कोठडी विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत पनियाना खाला एवं कोटरा खाला से कांसवाली कोठडी के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है० वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण। |
| | ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्नक - ... पर संलग्न है। |
| | ग) परियोजना की लागत। | रु० 382.45 लाख |
| | घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | स्थानीय जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना |
| | ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) | उक्तानुसार |
| | च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध होंगे |
| 2 | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: | पाईप लाईन कार्य हेतु - 0.618 है०
श्रोत कार्य हेतु - 0.0099 है०
श्रोत कार्य हेतु - 0.0001 है०
योग :- <u>0.628 है०</u> |

- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, - कोई नहीं
यदि कोई है
क) परिवारों की संख्या - लागू नहीं।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - लागू नहीं।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - लागू नहीं।
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत - नहीं
मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और - नहीं
या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाय)
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण संलग्न है।
पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

दिनांक : 26/03/2019

स्थान : देहरादून

नाम :- (इ० मिशा-सिन्हा)

मोहर :-

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण विभाग, देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)